तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23-4-18	वकील उभयपक्ष उप०। दावा वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

[illegible] न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला [illegible] एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

[illegible] नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible] / 97	14.8.97	23-10-2018

[illegible] पुत्री स्व0 मिश्रीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां पत्नि राधेश्यामं [illegible] निवासी सलावद हाल आबाद दरीबाकलां, किनारी बाजार, छत्ता [illegible] कायस्थ वाली गली मकान नं0 2604 दिल्ली (मृतक)

[illegible] पुत्र स्व0 छोटा जाति ब्राह्मण निवासी सलावद हाल निवासी
[illegible] पुत्र छोटा दरीबाकलां किनारी बाजार, छत्ता प्रतापसिंह
[illegible] पुत्री स्व0 छोटा कायस्थ वाली गली म0नं0 2604 दिल्ली

——वादीगण

बनाम

[illegible] बेवा गोपाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] पुत्री गोपाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] राज्य लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

[illegible] :—श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण ने इस आशय का पेश किया है कि [illegible] उदेईकलां में भूमि ख0नं0 1654, 2189, 2196, 2204, 2206, 2228, [illegible] 2258, 2259, 2260, 2261, 2263 कुल किता 13 रकबा 12.27 [illegible] है। भू–प्रबन्ध से पूर्व इसके ख0नं0 451, 533, 543, 2137 कुल [illegible] बीघा 9 विस्वा थे। यह भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक [illegible] जिसमें वादिया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। [illegible] मृतक मिश्रीलाल की पुत्री है एवं प्रतिवादी नं0 1 मृतक मिश्रीलाल के [illegible] गोपाल की विधवा पत्नि है। प्रतिवादी नं0 2 स्व0 गोपाल की एकमात्र [illegible] गोपाल के कोई पुत्र संतान नहीं है। मिश्रीलाल की छोडी हुई [illegible] में वादिया का 1/2 हिस्सा कानूनन है। भूमि का अभी विभाजन नहीं [illegible] वादिया के पिता की मृत्यु के बाद भूमि का नामान्तरकरण गोपाल [illegible] मिश्रीलाल के नाम दर्ज हो गया जबकि इसमें वादिया का 1/2 हिस्सा [illegible] चाहिए था। वादिया को गोपाल अपने जीवनकाल में तथा उसके [illegible] के बाद प्रतिवादीगण फसल में हिस्सा दिया करते थे परन्तु चैत्र सुदी 2 [illegible] में प्रतिवादीगण ने हिस्सा देने से इन्कार कर दिया। अतः दावा

अनुरोध कर निवेदन है कि ग्राम उदेईकलां की भूमि ख0नं0 1654, 2189, 2196, 2204, 2206, 2228, 2233, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263 कुल किता 13 रकबा 12.27 है0 में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इस भूमि का मीट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावे एवं वादी के नाम अलग से भूमि दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे वे वादिया के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में वादिया को बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी नं0 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने वादिया के दावे को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी नं0 1 के पति गोपाल की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी नं0 1 के ससुर मिश्रीलाल की मृत्यु 1971 में हो गई थी एवं मरने से पूर्व उन्होने अपनी सम्पत्ति का बंटवारा भी कर दिया था वादिया को उसके हिस्से के एवज में 10000/-रू0 दे दिए जिसे वादिया ने स्वीकार कर लिया एवं मिश्रीलाल की सम्पत्ति में से अपना अधिकार समाप्त कर लिया। वादग्रस्त भूमि तभी से गोपाल द्वारा काश्त की जा रही है। गोपाल की मृत्यु भी 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है एवं अब प्रतिवादिया उक्त भूमि को बिना किसी अवरोध के काश्त करती आ रही है। वादिया का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं रहा है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः-

1. आया दावे के मद नं0 1 में वर्णित आराजियात वाके तन ग्राम उदेईकलां वादिया व प्रतिवादीगण की पैत्रक आराजियात है जिसमें से वादिया अपने हिस्सा 1/2 की भूमि को अपने नाम से अलग से खातेदार काश्तकार घोषणां करार जाने व विभाजन करवा कर अपने नाम अलग खातेदारी करवाने की अधिकारी है ।

2. आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिए हुक्मइम्तनाई पाबन्द करवाए जाने की अधिकारी है।

3. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-4, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श-3, नकल साबिक जमाबंदी प्रदर्श-2, प्रदर्श-1, नकल गिरदावरी सं0 2026 से 2029 प्रदर्श-5 पेश किए हैं तथा स्वयं वादिया छोटा, गवाह रामेश्वर प्रसाद कराए हैं।

जवाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है केवल बयान प्रतिवादी शांति व बयान गवाह मूलचन्द कराए हैं।

वादिया का यह दावा दिनांक 27.9.2000 को डिक्री किया जाकर वादिया को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं विभाजन स्कीम तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.9.2000 के विरूद्ध प्रतिवादिया शांति द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.3.2002 द्वारा खारिज कर दिया गया।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दि0 16.3.02 के विरूद्ध प्रतिवादिया शांति द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील दायर की गई। द्वितीय अपील में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 17.9.2012 में अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 16.3.2002 एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 27.9.2000 निरस्त कर दिए एवं प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विरचित विवादकों का पृथक पृथक विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से वापिस प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र तहत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 प्रस्तुत हुआ जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.9.2013 को खारिज कर दिया गया।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.9.2013 के विरूद्ध प्रतिवादिया शांति द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। निगरानी को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 14.9.2017 को निर्णय करते हुए निगरानी खारिज कर दी गई एवं पत्रावली सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 17.9.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रकरण में बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादिया के विद्वान वकील ने अपनी बहस में बताया कि भूमि पैत्रक है जो मिश्रीलाल की खातेदारी में रही हैं। मिश्रीलाल की मृत्यु वर्ष 1974 में हो चुकी है। मिश्रीलाल के एक पुत्री छोटा देवी (वादिया) व एक पुत्र गोपाल रहा है। वादिया छोटा देवी की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके पुत्र राजकुमार, संजय

सीमा है जो रेकार्ड पर बतौर वादीगण दर्ज हो चुके हैं। गोपाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके पत्नि शांति व पुत्री सीता देवी है जो मुकदमे में प्रतिवादीगण के रूप में दर्ज हैं। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी की डिक्री दि0 द्वारा वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया एवं नकल तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई परन्तु प्रतिवादिया द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के यहां की गई जो दिनांक 16.3.2002 को खारिज कर दी गई। उसके बाद शांति प्रतिवादिया द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उपजिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय निरस्त कर दिए गए एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को भिजवाया गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तनकियात का पृथक पृथक निर्णय किया जावे। प्रस्तुत मामले की भूमि पैत्रक है एवं वादिया छोटा देवी इसमें 1/2 हिस्से की खातेदार है एवं अब उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रगण व पुत्री भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार हैं। इसलिए दावा डिक्री फरमाते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व इसी अनुसार भूमि पृथम रूप से वादीगण के नाम दर्ज की जावे। प्रस्तुत मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा भी प्रकरण का 6 माह में निस्तारण करने का आदेश दिया हुआ है।

प्रतिवादिया शांति देवी के विद्धान वकील ने अपनी बहस में कहा कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैत्रक भूमि हेतु केवल पुरूष सदस्य अधिकारी है तदनुसार प्रतिवादिया शांति के पति गोपाल के नाम भूमि सही रूप से दर्ज हुई थी क्योंकि वही मिश्रीलाल का पुरूष सदस्य था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाहित पुत्री सम्पत्ति में अधिकारी नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार 20.12.2004 से पूर्व भूमि विभाजित हो जाने पर यह संशोधन लागू नहीं है। प्रतिवादिया के विद्धान वकील ने अपने कथन के समर्थन में न्याय दृष्टान्त धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 769, आर0आर0टी0 2011 पेज 764 उद्धत करते हुए वादिया का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। तनकीवाइज निर्णय निम्नानुसार हैः—

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

तनकी नं0 1:—आया दावे के मद नं0 1 में वर्णित आराजियात वाके तन ग्राम उदेईकलां वादिया व प्रतिवादीगण की पैत्रक आराजियात है जिसमें से वादिया अपने हिस्सा 1/2 की भूमि को अपने नाम से अलग से खातेदार काश्तकार घोषणां करवाए जाने व विभाजन करवा कर अपने नाम अलग खातेदारी करवाने की अधिकारी है ।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादी पक्ष की ओर से नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी सं0 2029 से 2032 प्रदर्श—2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—4, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श—3, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2026 से 2029 प्रदर्श—5 प्रस्तुत की है एवं बयान वादिया श्रीमती छोटा पी0डब्लू0 1, बयान गवाह रामेश्वर प्रसाद शर्मा पी0 डब्लू02 कराए हैं। नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028 प्रदर्श—1 के अनुसार भूमि ख0नं0 451, 533, 543, 2137 कुल रकबा 51 बीघा 9 विस्वा ग्राम उदेईकलां मिश्रीलाल पुत्र बुद्धिराम जाति ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी। मिश्रीलाल की मृत्यु के पश्चात् यह भूमि मिश्रीलाल के पुत्र गोपाल के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई जो नकल जमाबंदी प्रदर्श—2 से स्पष्ट है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—4 के अनुसार भू—प्रबन्ध में उपरोक्त वर्णित भूमि के नवीन ख0नं0 1654, 2189, 2196, 2204, 2206,2228, 2233, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263 कुल रकबा 12.27 है0 बने हैं जो नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 के अनुसार गोपाल की पत्नि शान्तीदेवी व पुत्री सीतादेवी की खातेदारी में दर्ज है। वादी पक्ष वादग्रस्त भूमि को पैत्रक होना बताता है परन्तु उनके द्वारा जो राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार भूमि पैत्रक प्रमाणित नहीं है बल्कि वादिया मु0 छोटा के पिता व प्रतिवादिया मु0 शान्ती के ससुर मिश्रीलाल की खातेदारी की भूमि है।

प्रस्तुत मामले में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 17.9.2012 में मामले में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निर्णय पारित करने का निर्देश दिया है। राजस्व मण्डल अजमेर के उपरोक्त निर्देश की पालना में हमारे द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का एवं प्रस्तुत वाद का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत वाद पैत्रक सम्पत्ति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है एवं वादग्रस्त भूमि में वादिया द्वारा 1/2 हिस्सा इस आधार पर मांगा गया है कि वह मृतक मिश्रीलाल की पुत्री है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुरुष सदस्य पैत्रक भूमि में जन्म से ही भूमि का अधिकारी हो जाता है,

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

महिला सदस्यों को पैत्रक भूमि में जन्म से अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। वादिया का जन्म हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व हुआ है या बाद में, इस तथ्य की जानकारी के लिए पत्रावली पर वादिया का कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है परन्तु पत्रावली में वादिया मु0 छोटा ने दिनांक 30.4.99 को अपने बयान दर्ज कराए हैं उसमें अपनी उम्र 45 वर्ष अंकित की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादिया मु0 छोटा का जन्म हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व हुआ है। इस कारण वादिया मु0 छोटा अपने पिता की सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। पत्रावली इस सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष के विद्धान वकील द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में किए गए संशोधन 2005 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि इस संशोधन के पश्चात् पुत्री को पिता की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार दिया गया है एवं दिनांक 20.12.2004 से पूर्व की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः वादिया प्रस्तुत वाद मे उसके द्वारा चाहा गया 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। तद्नुसार वादिया भूमि विभाजन करवाने की भी अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :– आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिए हुक्मइम्तनाई पाबन्द करवाए जाने की अधिकारी है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। तनकी न0 1 मे किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादिया वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। इसलिए वादिया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का भी अधिकार नही रखती है। अतः यह तनकी वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादिया का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है।

आदेश

अतः तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादिया का वाद स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २३-१०-२०१९ को सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

मु0 छोटा पुत्री स्व0 मिश्रीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां पत्नि राधेश्याम शर्मा निवासी सलावद हाल आबाद दरीबाकलां, किनारी बाजार, छत्ता प्रतापसिंह, कायस्थ वाली गली मकान नं0 2604 दिल्ली (मृतक)
1/1.राजकुमार पुत्र स्व0 छोटा जाति ब्राह्मण निवासी सलावद हाल निवासी
1/2.संजीव पुत्र छोटा दरीबाकलां किनारी बाजार, छत्ता प्रतापसिंह
1/3.सीमा पुत्री स्व0 छोटा कायस्थ वाली गली म0नं0 2604 दिल्ली
——वादीगण

बनाम

1. मु0 शांति बेवा गोपाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. सीतादेवी पुत्री गोपाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. राजस्थान राज्य लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –1337 / 1997

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादिया का वाद स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-10-18 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		